भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 1595

गुरुवार, 26 जुलाई, 2018/4 श्रावण, 1940 (शक)

देश में पुराने ऊपरी सेतुओं के संबंध में लेखापरीक्षा

1595. श्री संजय काका पाटीलः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देश में 30, 50 और 100 वर्ष से अधिक पुराने ऊपरी सेतुओं की ढांचागत लेखापरीक्षा के संबंध में किसी प्रकार की मैनुअल नियमावली बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऊपरी सेतुओं के ढहने की घटनाओं को रोकने के लिए कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री मनसुख एल. मांडविया)

(क) से (घ): भारतीय सड़क कांग्रेस ने पुलों के निरीक्षण और उनके अनुरक्षण के लिए पहले से ही दिशा-निर्देश/मेन्युअल तैयार किए हैं। इसके अलावा, मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूदा पुलों की सूची तैयार करने और पारिस्थितिक आंकलन किए जाने के लिए भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली (आइबीएमएस) विकसित की है। संबंधित निष्पादन एजेंसियों को पुलों जिनमें तत्काल मरम्मत/पुनरूद्धार/निर्माण आदि अपेक्षित है, के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं।

******